2010

AUGUST
M T W T F S S
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

JULY
30 FRIDAY

सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप / प्रकार

बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख चार स्वरूपों - दास प्रथा, जागीरी, जाति और सामाजिक वर्ग का उल्लेख किया है। कुछ विद्वान स्तरीकरण के दो रूप मानते हैं - (i) खुला स्तरीकरण और (ii) बन्द स्तरीकरण।

खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं जहां व्यक्ति अपने वर्ग परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे में आ-जा सकते हैं। बन्द स्तरीकरण का उदाहरण भारतीय जाति-व्यवस्था है। जाति जन्म से निर्धारित होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन काल में जाति परिवर्तन नहीं कर सकता, अतः ऐसे समाज को बन्द स्तरीकरण वाला समाज कहा जाता है। स्तरीकरण के कुछ प्रमुख स्वरूपों का संक्षेप में विवेचन इस प्रकार है:-

(1) दास प्रथा (Slavery)

दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। अनेक कालों एवं स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा है, किन्तु प्राचीन समय में यूनान और रोम में तथा 18वीं एवं 19वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका में इनका प्रमुख रूप से प्रचलन रहा है।

एच. जे. निबोर ने दास प्रथा में दास की सामाजिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा है - प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है, जिसके अधीन उसे रहना पड़ता है और यह अधीनता विशेष प्रकार की होती है। स्वामी को दास पर शक्ति प्रयोग करने की निर्बाध स्वतंत्रता होती है। दास स्वामी की सम्पत्ति होता है। दास को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते। सामाजिक रूप से वह तिरस्कृत होता है। दास को अनिवार्य रूप से श्रम करना पड़ता है।

दास प्रथा औद्योगिक व्यवस्था के समान ही रही है। दास प्रथा के उदय के साथ-साथ कुलीनतन्त्र भी

प्रकट होता है जो दास के श्रम पर जीता है। आधुनिक युग में समाजवाद, मानव अधिकार एवं जनतन्त्र के विचारों के विपरीत होने के कारण यह प्रथा सभी देशों में लगभग समाप्त हो गयी है।

(2) जागीरें (Estates) → जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा है जिसे प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में तीन वर्ग प्रमुख थे- पादरी, सरदार एवं साधारणजन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एवं संस्कृति भिन्न थी। सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था क्योंकि उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था। नियमानुसार तो पादरी सर्वोच्च थे, किन्तु उन्हें कोई पद प्राप्त नहीं था, इसलिए वे व्यावसायिक रूप से राजवंश के सरदारों से नीचे माने जाते थे। जिन पादरियों को उपाधियां दी गयी थीं वे सरदारों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे कई पादरी अविवाहित थे, अतः उनका कोई परिवार नहीं था। परिवार जो कि सामाजिक स्तरीकरण की इकाई माना गया है के अभाव में पादरियों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी फिर भी उनके माता-पिता के परिवारों के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है।

बोटोमोर ने जागीर प्रथा की तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है— (i) प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी, उनके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्वों के आधार पर समाज में उनकी एक निश्चित प्रस्थिति होती थी।

(ii) जागीरों में स्पष्ट श्रम-विभाजन पाया जाता थी, जैसे- कुलीन सबकी रक्षा करते, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करते और जनसाधारण सबके लिए भोजन जुटाते।

(iii) जागीरें राजनीतिक समूह थी। उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। भारत में भी मौर्य काल, गुप्त काल एवं

मुगल काल की सामन्ती व्यवस्था में यूरोपीय जागीर प्रथा के लक्षण पाये जाते हैं यद्यपि इनका स्वरूप आर्थिक व सैनिक रहा है और यह जाति की विशेषताओं से भी मुक्त रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जागीर प्रथा ने भी समाज में स्तरीकरण पैदा किया है।

(3) **बन्द स्तरीकरण : जाति प्रथा (closed stratification: caste system)** →

जब हम जातिगत संस्तरण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पायी जाती है या इसका पूर्ण रूप यहीं विद्यमान है, वरन इसका कारण यह है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति की एक जीवन-शैली होती है। एन. के. दत्ता, घुरिये, आदि ने जाति की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है।—

(1) जाति की सदस्यता जन्मजात होती है।
(2) जाति समाज का खण्डात्मक विभाजन है।
(3) जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का क्रम (Hierarchy) पाया जाता है।
(4) प्रत्येक जाति एक अन्तर्विवाही (Endogamous) समूह है।
(5) प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है।
(6) जाति के सदस्य खान-पान एवं सामाजिक सहवास सम्बन्धी नियमों का पालन करते हैं।
(7) प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायत जाति के नियमों का पालन करवाती है।
(8) जाति की सदस्यता सम्पूर्ण जीवन के लिए होती है। कोई